प्र.सं. 14/25 तारू बनाम रामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरोड़िया में खाता संख्या 119 की आराजी नंबर 144 से 150 कुल किता 7 रकबा 1.1500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। मौके पर पक्षकारान आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु कानूनी बंटवारा नहीं होने से मौके पर अनावश्यक विवाद होता है। अतः वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.09.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कोठारी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की आदेश 1 नियम 10 जा.दी. एवं मेरिट पर बहस सुनी गई। आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि उनके द्वारा विवादित आराजियात	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested

पंजीकृत विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 1 से 3 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिससे वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें पक्षकार संस्थित किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत विक्रय पत्रों का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21–01–2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 हूरजी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा विरेन्द्रसिंह पिता भीखसिंह को विक्रय कर दिया गया है। इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रामलाल एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 प्रकाश द्वारा अपना–अपना सम्पूर्ण हिस्सा कपिल देवल पिता कमल देवल के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21–01–2025 से कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में क्रेतागण सुना जाना आवश्यक है। अतः आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट का कथन है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा विभाजन में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। इसलिए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। चूंकि हमारे द्वारा प्रार्थीगण का आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है तथा अपीलान्ट का भी कथन है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा विभाजन में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में क्रेतागणों को सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अभिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested

तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 98/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में क्रेतागण विरेन्द्रसिंह पिता भीखसिंह एवं कपिल देवल पिता कमल देवल को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर तथा पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested